सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर
पिनः—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांक :1973/सि0वि0क0/2021—22 दिनांक : 05/05/2022

सेवा में,

1—सम्पादक, दैनिक जागरण, सिद्धार्थनगर।
2—सम्पादक, अमर उजाला, सिद्धार्थनगर।

विषय— **राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद एवं दीनदयाल शोध पीठ में शोध चेयर की नियुक्ति के संबंध में।**

महोदय,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर द्वारा विश्वविद्यालय उपरोक्त पदो की अर्हताएं, नियम एवं शर्ते आदि सम्बन्धी विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.suksn.edu.in** पर उपलब्ध है, इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित, सम्पूर्ण शैक्षिक विवरण/अनुभवों के साथ अभिपूरित कर पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 25.05.2022 तक कर सकते है।

अतः आप से अनुरोध है कि निम्न विज्ञापन को अपने समाचार पत्र के गोरखपुर संस्करण में न्यूनतम दर पर प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर (उ.प्र.)

विज्ञप्ति

निम्नलिखत पदो पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है—

1. **विज्ञापन संख्या—SUK-01/22 राष्ट्रीय सेवायोजना के अन्तर्गत अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक।**
2. **विज्ञापन संख्या—SUK-02/22 दीनदयाल शोध पीठ में शोध चेयर**

उपरोक्त पदो की अर्हताएं, नियम एवं शर्ते आदि सम्बन्धी विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.suksn.edu.in** पर उपलब्ध है, इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित, सम्पूर्ण शैक्षिक विवरण/अनुभवों के साथ अभिपूरित कर पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 25.05.2022 कर सकते है।

कुलसचिव

Size: 5x8=40sqcm

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर–272202 उ०प्र०(भारत)

Website : www.suksn.edu.in, Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक पद के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर तथा स्थानीय सम्बद्ध/घटक महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए आवेदन समस्त अभिलेखों सहित, सम्पूर्ण शैक्षणिक विवरण/अनुभवों के साथ अभिपूरित कर आमंत्रित किये जाते हैं, जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 25–05–2022 तक प्राप्त हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी तद्नुसार मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार के समय उपस्थित हों।

कार्यक्रम समन्वयक हेतु निम्नलिखित अर्हतायें पूर्ण होना चाहिए।

1. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में रीडर/प्रवक्ता (चयन वेतनमान) प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चोहिए।
2. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी जिन्हे राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि तथा रीडर का दर्जा प्राप्त हो, समन्वयक की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
3. अभ्यर्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष का कार्यानुभव रहा हो।
4. अभ्यर्थी प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी आवेदन की अन्तिम तिथि तक 50 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1974/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2021–22 दिनांकः 05.05.2022

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सम्पादक दैनिक जागरण एवं अमर उजाला सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में 8 X 5 वर्ग सेमी. में गोरखपुर संस्करण में प्रकाशित कर देयक दो प्रतियो में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति जी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी सि0वि0वि0क0 सिद्धार्थनगर।
5. प्रभारी, कोडिंग सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षण हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या–593/सत्तर–रा0से0यो0को0–2010

प्रेषक,

डा0 सत्येन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से
संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2010

विषय:राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन के लिये अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति, अर्हतायें तथा कर्तव्य आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1309/सत्तर–रा0से0यो0–26/92, दिनांक 23 अगस्त, 1999 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 1999 में भारत सरकार के मैनुवल के अनुपालन में निम्नांकित संशोधन को समाहित करते हुए अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये–

1. पद के रिक्त होने की सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से विज्ञापित की जाये, जिसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।
2. साक्षात्कार समिति के समक्ष कम से कम पाँच उम्मीदवारों को उपस्थित अनिवार्य की जाय। पाँच से कम संख्या की दशा में पद पुन: विज्ञापित करके पुन: आवेदन पत्र प्राप्त किये जाँय। न्यूनतम पाँच उम्मीदवारों के 'कोरम' को प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

...2/–

3. शासनादेश सख्या-1309/सत्तर-रा0से0यो0-26/92, दिनाक 23 अगस्त, 1999 के बिन्दु सख्या-4 के अन्तिम पैरा मे उल्लेखित-"यदि शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति द्वारा अपरिहार्य कारणवश न्यूनतम अहताये पूर्ण होने की प्रत्याशा मे एक वर्ष के लिये तदर्थ रूप से कार्यक्रम समन्वयक/एसोसियेट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति की जाती है तो इस प्रकार नियुक्त कार्यक्रम समन्वयक/एसोसियेट कार्यक्रम समन्वयक को एक वर्ष के अन्दर न्यूनतम अहताए पूर्ण होने पर कुलपति के अनुमोदन पर शासन द्वारा नियमित रूप से 03 वर्ष के लिये नियुक्त की जा सकती है किन्तु इस शर्त के साथ कि 03 वर्ष के कार्यकाल की गणना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही आँगणित की जाएगी।" के क्रम मे स्पष्ट करना है कि उक्त शिथिलीकरण शासनादेश सख्या-1309/सत्तर-रा0से0यो0-26/92, दिनाक 23 अगस्त, 1999 के प्रस्तर-6 के बिन्दु-(घ) -"उसे प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्राशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया जाना चाहिए," से सबधित है एव न्यूनतम अहता विषयक यह छूट उन विश्वविद्यालयो को दी जाएगी, जहाँ पूर्व के वर्षो मे योजना सचालित नही है। शासनादेश सख्या-1309/सत्तर-रा0से0यो0 -26/92, दिनाक 23 अगस्त, 1999 के प्रस्तर-6 मे उल्लेखित अन्य अहताये यथावत् रहेगी एव जिन विश्वविद्यालयो मे पूर्व के वर्षो मे रा0से0यो0 सचालित है, वहाँ कार्यक्रम समन्वयक, रा0से0यो0 के चयन मे उपरोक्त प्रस्तर-4 मे वर्णित शिथिलीकरण मान्य नही है तथा अहे उम्मीदवारो को ही साक्षात्कार समिति के समक्ष आमन्त्रित किया जाय।

उपरोक्त प्राविधानो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

डा0 (सत्येन्द्र बहादुर सिह)
विशेष कार्याधिकारी एव
राज्य सम्पर्क अधिकारी

3/-

संख्या-583(1)/सत्तर-रा0से0यो0को0-2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, सम्परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
4-अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय, वाई0एस0-।।।, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5-सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र, हाल न0 1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच0 अलीगंज, लखनऊ।
6-कुलसचिव/वित्त अधिकारी, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7-कार्यक्रम समन्वयक, समस्त संबंधित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

डा0 (सत्येन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी

पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ में शोध चेयर की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश

पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना शासनादेश संख्या––68/2017/1809/सत्तर–4–2017–15/2017, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के द्वारा हुई। राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त केन्द्र में किसी भी पद का सृजन नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय में स्थापित पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन नियमित एवं व्यवस्थित ढ़ग से किए जाने हेतु शोध चेयर की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है, इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विद्यापरिषद एवं वित्त समिति से स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् शोध चेयर की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शोधपीठ में शोध चेयर की नियुक्ति/नियोजन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रस्तावित हैः–

1–मेजबान केन्द्र : पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ।

2–उद्देश्य : पं0 दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की समसामयिक प्रासंगिकता युक्त बहु–अनुशासनिक समग्र अध्ययन, अध्यापन एवं शोध को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना जिनका स्रोत हिन्दू/सनातन परम्परा में है। शोध चेयर प्रमुख रूप से पीठ के अन्तर्गत जीवंत क्रियाशील शोध समूह को विकसित करने तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय के विचारों एवं चिन्तन को प्रभावी रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास करेगें जिससे शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी तत्सम्बन्धी विचारों का गहन अध्ययन कर सके तथा जिससे उसकी आधुनिक समसामयिक प्रासंगिकता को स्पष्ट एवं उद्घाटित करने में सहायता प्राप्त हो।

3–अनिवार्य अर्हताः पं0 दीनदयाल उपाध्याय के चिन्तन एवं दर्शन के उत्कृष्ट विद्वान/मानविकी, प्राच्य विद्या, भारतीय दर्शन या अन्य कोई अनुशासन जैसा कि अपेक्षित होगा, के अर्हता वाले विद्वान/लेखक को शोध चेयर हेतु नियोजित/नामांकित किया जा सकता है।

4–आयुः अधिकतम 70 वर्ष।

5– कार्यक्षेत्र/अपेक्षाएंः

(i) पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

(ii) जैसा कि उद्देश्य की अपेक्षा है उसके अनुरूप सम्बन्धित अनुशासन में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध के दायित्व का सम्यक निर्वहन।

(iii) चयनित अनुशासन में निहित प्राचीन हिन्दू/सनातन साहित्य/विचारों का अनुसंधान करना/उन्हें पुनः खोजना/उनमें सुधार करना जिससे पं0 दीनदयाल उपाध्याय के समग्र चिन्तन के साथ उनका वास्तविक अर्थ उद्घाटित हो जाय।

(iv) विषय को नवीन दृष्टि, बोध, शोध एवं अधुनातन विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना।

(v) विषय के महत्व एवं उसकी समसामयिक प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करना।

(vi) विषय एवं उसके सिद्धातों को सम्भव सरलतम खडों में इस प्रकार विभाजित करके प्रस्तुत करना जिससे वह नवीन पीढ़ी को आसानी से सम्प्रेषित हो सके।

(vii) विद्यार्थियों की एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना जो प्राच्य एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय के विचारों के आलोक एवं उसकी प्रासंगिकता से विश्व को देश की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए परिचित करा सके।

(viii) पं0 दीन दयाल उपाध्याय के चिन्तन एवं दर्शन के केन्द्रीय तत्वों पर व्याख्यान की श्रृंखला, सेमिनार, विमर्श आयोजित करना।

(ix) विश्वविद्यालय को इस तरह से सहयोग देना जिसमें पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ सशक्त हो सके।

6– मानदेय : शोध चेयर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सहायक आचार्य (असिस्टेण्ट प्रोफेसर) के मूल वेतन के समतुल्य मानदेय (रू0 57,700.00 प्रतिमाह) देय होगा।

7–अवधिः नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो संतोषजनक प्रगति पर हर छः–छः महीने हेतु विस्तारित की जायेगी।

8–सुविधाएँ : **(i)** विश्वविद्यालय के नियमानुसार उसे यात्रा भत्ता देय होगा।
(ii) उपलब्धता होने पर निःशुल्क अतिथि गृह की सुविधा।

9–अवकाश नियम : पूरी अवधि हेतु नियोजित/नामित शोध चेयर को प्रति पूर्ण माह के सापेक्ष 01 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा।

कुलसचिव